

वित्त विभाग द्वारा
अनीपचारिक रूप
से परामर्शित।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:- राज्य के विभिन्न न्यायमंडलों के अंतर्गत न्यायिक पदाधिकारियों के पदों का सृजन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-66023 दिनांक 10.11.2015 तथा 66032 दिनांक 10.11.2015 द्वारा क्रमशः उदा-किशुनगंज अनुमंडल (मधेपुरा न्यायमंडल) एवं मुजफ्फरपुर (पश्चिम) अनुमंडल (मुजफ्फरपुर न्यायमंडल) में सब जज के कुल 04 न्यायालयों के लिए सब जज के 04 (चार) पदों के निम्नरूपेण सृजन किये जाने की अनुशंसा प्राप्त थी:-

क्र० सं०	अनुमंडल का नाम	न्यायमंडल का नाम	कुल पद
			सब जज (सिविल जज वरीय कोर्ट)
1	उदा-किशुनगंज	मधेपुरा	01
2	मुजफ्फरपुर (पश्चिम)	मुजफ्फरपुर	03
		कुल	04

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत कुल 04 सब जज न्यायालयों के लिए सब जज के 04 (चार) पदों के सृजन हेतु महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-66023 दिनांक 10.11.2015 तथा 66032 दिनांक 10.11.2015 के पत्रों सह संलग्न विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख अंकित वेतनमान में ₹ 49,16,463/- (उनचास लाख सोलह हजार चार सौ तिरेसठ) के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा संवर्गों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में अस्थायी रूप से न्यायिक पदाधिकारियों के कुल 04 (चार) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पदों का व्यय-बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-105 सिविल और सेशन न्यायालय उपशीर्ष-0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड सं०-"N-2014001050001" होगा एवं संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।


4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।
अनुलग्नक:-व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/पद सृजन-15-01/2015 सा0प्र0 4658/पटना-15, दिनांक 30.3.16
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/
महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-66023 दिनांक 10.11.2015 तथा 66032
दिनांक 10.11.2015 के प्रसंग में/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की
बैठक दिनांक 29.03.2016 के मद संख्या-04 के प्रसंग में/सभी संबंधित जिला एवं सत्र
न्यायाधीश/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30/3/16
सरकार के उप सचिव।

Statement of Annual Estimated Expenditure


सचिका संख्या-7/पद सृजन-15-01/2015

विषय:-राज्य के विभिन्न न्यायमंडलों के अंतर्गत न्यायिक पदाधिकारियों के पदों का सृजन पर होने वाले व्यय की विवरणी:-

SL No.	Name of the Post	Cadre	No. of Posts	Pay Scale (P.S.)	Average Pay/Basic Pay (Upper Limit of P.S. + Lower Limit of P.S.)/2)	Annual Pay (Average Pay X Number of Post X 12)	Dearness Allowance @ 119%	Total Annual Estimated Expenditures***
1	Sub Judge	Civil Judge (Senior Division)	Four (4)	39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010	Rs. 46,770	Rs. 22,44,960/-	Rs. 26,71,503/-	Rs. 49,16,463/-
								Rs. 49,16,463/-

कुल वार्षिक व्यय का योग - ₹ 49,16,463/- (उनचास लाख सोलह हजार चार सौ तिरसठ) मात्र।

***नोट:- उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय-समय पर न्यायिक सेवा में नियमानुसार देय भत्ता भुगतये होगा।


(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:-

13वें वित्त आयोग की अवशेष राशि से दिनांक 31.03.2016 की अवधि तक पुराने दिवानी (सिविल) एवं फौजदारी (क्रिमिनल) मामलों के निष्पादन हेतु 37 जिलों में प्रति जिला 02 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन हेतु वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070/- में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 74 अस्थायी पदों का सृजन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-62125 दिनांक 26.10.2015 द्वारा 13वें वित्त आयोग की अवशेष राशि से दिनांक 31.03.2016 की अवधि तक पुराने दिवानी (सिविल) एवं फौजदारी (क्रिमिनल) मामलों के निष्पादन हेतु 37 जिलों में प्रति जिला 02 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन हेतु वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070/- में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 74 अस्थायी पदों का सृजन किये जाने की अनुशंसा प्राप्त थी।

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-62125 दिनांक 26.10.2015 सह संलग्न विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख अंकित वेतनमान में ₹ 5,69,23,020 /-(पाँच करोड़ उनहत्तर लाख तेईस हजार बीस रुपये) मात्र के अर्द्धवार्षिक तथा न्यायिक सेवा सवंगों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में अस्थायी रूप से न्यायिक पदाधिकारियों के कुल 74 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पदों का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम- संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश बजट शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-105 सिविल और सेशन न्यायालय-उपशीर्ष-0001-जिला एवं सत्र न्यायालय के अन्तर्गत स्थापना मद से भारित होगा। विपत्र कोड-"एन0-2014001050001 संबंधित कोषागार से राशि की निकासी होगी।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।
अनुलग्नक:-व्यय विवरणी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/पद सृजन-15-9/2015 सा0प्र0 46S7 /पटना-15, दिनांक 30.3.16

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/
महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-62120 दिनांक 26.10.2015 के प्रसंग
में/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 29.03.2016 के
मद संख्या-03 के प्रसंग में/सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी संबंधित कोषागार
पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।


30/3/16
सरकार के उप सचिव।

व्यय-विवरणी


संचिका संख्या-7/पद सृजन-15-9/2015

DETAILS OF ESTIMATED EXPENDITURE ON CREATION OF 74 POSTS OF ADDITIONAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE FOR ESTABLISHING 74 FAST TRACK COURTS UP TO 31ST MARCH, 2016 UNDER THE 13TH FINANCE COMMISSION

SL NO	Items	Expenditure for six months (in Rs.) (B x 06)	No. of posts	Total Expenditure for Six months (in Rs.) (C x D)																					
A	B	C	D	E																					
1.	Additional District and Sessions Judge for 74 Fast Track Courts Pay Scale (Rs. 51550-1230-58930-1380-63070)	7,69,230	74	5,69,23,020																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl no.</th> <th>Head</th> <th>Amount (Rs.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i</td> <td>Basic Pay</td> <td align="center">51550</td> </tr> <tr> <td>ii</td> <td>D.A. @ 119%</td> <td align="center">61345</td> </tr> <tr> <td>iii</td> <td>H.R.A. @ 20%</td> <td align="center">10310</td> </tr> <tr> <td>iv</td> <td>Fuel Charges (50 liter Petrol)</td> <td align="center">4000*</td> </tr> <tr> <td>v</td> <td>SIM Charges</td> <td align="center">1000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td align="center">1,28,205</td> </tr> </tbody> </table>	Sl no.	Head	Amount (Rs.)	i	Basic Pay	51550	ii	D.A. @ 119%	61345	iii	H.R.A. @ 20%	10310	iv	Fuel Charges (50 liter Petrol)	4000*	v	SIM Charges	1000	Total		1,28,205			
Sl no.	Head	Amount (Rs.)																							
i	Basic Pay	51550																							
ii	D.A. @ 119%	61345																							
iii	H.R.A. @ 20%	10310																							
iv	Fuel Charges (50 liter Petrol)	4000*																							
v	SIM Charges	1000																							
Total		1,28,205																							

कुल वार्षिक व्यय का योग - ₹ 5,69,23,020 / - (पाँच करोड़ उनहत्तर लाख तेईस हजार बीस रुपये) मात्र।

नोट:- उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय-समय पर न्यायिक सेवा में नियमानुसार देय भत्ता भुगतये होगा।


 (रामेश्वर प्रसाद दास)
 सरकार के उप सचिव।